राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष – 0141–2744688

हमारा प्रयास, सबको आवास

राजस्थान के प्रमुख शहरों की पूर्ण विकसित कॉलोनियों में खुली नीलामी द्वारा प्रीमियम सम्पत्ति खरीदने का स्वर्णिम अवसर

क्र. सं.	शहर	योजना का नाम	भूखण्ड/ आवास सं.	सम्पत्ति का विवरण	आय वर्ग/क्षेत्रफल	न्यूनतम बोली मूल्य (रूपयों में)	खुली नीलामी की दिनांक व समय	खुली नीलामी का स्थान
1	जयपुर	प्रताप नगर	101/155	निर्मित आवास	HIG (185.50 SQ.M)	57,00,000/-	14 नवम्बर 2019 प्रातः 11 बजे से 3 बजे	वृत्त-प्रथम उप-आवासन आयुक्त कार्यालय प्रताप नगर जयपुर।
2	जयपुर	प्रताप नगर	101/156	निर्मित आवास/कार्नर	HIG (158.30 SQ.M)	60,00,000/-		
3	जयपुर	मानसरोवर	CBC/H-12	पिलन्थ स्तर निर्मित	HIG (278.12 SQ.M)	86,60,000/-	20 नवम्बर 2019 प्रातः 11 बजे से 3 बजे	वृत्त-द्वितीय उप-आवासन आयुक्त कार्यालय मानसरोवर जयपुर।
4	जयपुर	मानसरोवर	CBC/H-13	पिलन्थ स्तर निर्मित	HIG (281.46 SQ.M)	87,80,000/-		
5	जयपुर	मानसरोवर	CBC/H-29	पिलन्थ स्तर निर्मित	HIG (262.50 SQ.M)	81,00,000/-		
6	जयपुर	मानसरोवर	CBC/H-30	पिलन्थ स्तर निर्मित	HIG (262.50 SQ.M)	81,00,000/-		
7	अजमेर	वैशाली नगर	23/20D	निर्मित आवास/कार्नर	HIG (306 SQ.M)	70,00,000/-	14 नवम्बर 2019 प्रातः 11 बजे से 3 बजे	कार्यालय आवासीय अभियंता अजमेर
8	अजमेर	वैशाली नगर	2–ग–18	निर्मित आवास	HIG (324 SQ.M)	65,00,000/-		
9	उदयपुर	गोवर्धन विलास	1/40	निर्मित आवास	HIG (236.25 SQ.M)	87,00,000/-	14 नवम्बर 2019 प्रातः 11 बजे से 3 बजे	उप-आवासन आयुक्त कार्यालय उदयपुर
10	उदयपुर	गोवर्धन विलास	1/106	निर्मित आवास	MIG-B (112.50 SQ.M)	40,00,000/-		
11	सूरतगढ़	ओल्ड हाउसिंग स्कीम	3/17	निर्मित आवास	MIG-B (178.20 SQ.M)	34,00,000/-		कार्यालय परि. अभियंता(वरिष्ठ) हनुमानगढ़
12	सूरतगढ़	ओल्ड हाउसिंग स्कीम	3/19	निर्मित आवास	MIG-B (162.00 SQ.M)	30,00,000/		
13	बीकानेर	मुक्ता प्रसाद, नगर	9/36	निर्मित आवास	HIG (236.25 SQ.M)	57,02,000/-		उप-आवासन आयुक्त कार्यालय बीकानेर
14	बीकानेर	मुक्ता प्रसाद , नगर	9/37	निर्मित आवास	HIG (236.25 SQ.M)	57,02,000/-		

नोटः नीलामी की विस्तृत शर्तें मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर देखी जा सकती हैं।

9605 आवासों के ई–ऑक्शन में शामिल होने के लिए एवं महात्मा गांधी दस्तकार नगर आवासीय योजना की अधिक जानकारी के लिए आवासन मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर विजिट करें अथवा सम्पर्क करें।

Size: 13x12 sqcm

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

राजस्थान के प्रमुख शहरों में पूर्ण विकसित कॉलोनियों में खुली नीलामी द्वारा प्रीमियम सम्पत्ति के निस्तारण की शर्तें–

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यून्तम बिड मुल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यून्तम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुये 72 घन्टे में सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/ डी.डी. के द्वारा जो कि राजस्थान आवासन मण्डल के नाम देय होगा, जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 72 घण्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त नीलामी स्वीकृती हेतु मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। राजस्थान आवासन मण्डल को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नही कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. नीलामी से संबंधित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे–आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी।
5. खुली बोली न्यूनतम 100/– रूपये के गुणक में स्वीकार होगी।
6. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होना चाहिये अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी।
7. फर्म द्वारा नीलामी : यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबधी दस्तावेज एंव बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. लीज अवधि राशि एंव लीज राशि : भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अविध 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के अवधि बढ़ाई जा सकेगी। आवासीय

भूखण्डों/आवास के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगी।

9. आवासीय भूखण्ड/आवास "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वंय क्रेता वहन करेगा। इस बाबत् कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नही होगी।

10. विक्रय की गई सम्पत्ति की सम्पूर्ण राशि जमा होने एवं भौतिक कब्जा लेने तथा क्रेता द्वारा पंजीयन सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता द्वारा क्रेता के पक्ष में लीज डीड 30 दिवस में जारी करना अनिवार्य होगा।

11. भूखण्ड पर निर्माण : – क्रय किये गये भूखण्ड पर निर्माण मण्डल की निर्धारित समयावधि में करवाना आवश्यक होगा अन्यथा मण्डल के नियमानुसार मण्डल कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। क्रेता द्वारा निर्माण, स्वीकृत नक्शे के अनुसार कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मापदण्डों का ध्यान रखा जायेगा।

12. नीलामी के बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा।

13. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी।

14. लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय होगा।

15. त्रि–पक्षीय अनुबन्ध : अगर आवंटी मण्डल की सम्पूर्ण राशि जमा कराने हेतु किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर चुकाना चाहता है तो मण्डल को त्रि–पक्षीय अनुबन्ध के लिये अनुरोध कर सकता है। उप आवासन आयुक्त की अनुमति से त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा सकेगा। आवासन मण्डल बिना कारण बताये त्रिपक्षीय अनुबन्ध के लिये इन्कार भी कर सकता है।

16. भूखण्ड पर कब्जा हस्तान्तरण : मांग राशि सम्पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् मण्डल 15 दिवस में भूखण्ड/आवास का आवश्यक रूप से कब्जा सम्भला देगा।

17. अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क करें।

आवासन आयुक्त